सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***
श्रावण 29, गुरूवार, शाके 1942–अगस्त 20, 2020 *Sravana 29, Thursday, Saka 1942–August 20, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 20, 2020

संख्या प.35(1)गृह-9/2006पार्ट :-राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि बाड़मेर जिले से सटी हुई पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तान में लगे मोबाईल टॉवरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है, जिससे पाकिस्तान से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है। फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आशंकित खतरे के दृष्टिकोण से पाकिस्तानी मोबाईल सर्विस कम्पनी की सिम के उपयोग करने बाबत् प्रतिबन्ध लगाया जाना नितान्त आवश्यक है।

राज्य सरकार इससे सन्तुष्ट है कि बाड़मेर जिले में पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी मोबाईल सर्विस कम्पनी की सिम के उपयोग की अवांछनीय गतिविधियों को रोके जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक प.16(30)(1)न्यायिक/2017/8206-52 दिनांक 07.07.2020 द्वारा लागू किये गये आदेश (प्रतिबन्ध) की अवधि बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेंर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक प.16 (30 (1) न्यायिक/ 2017/ 8206-52 दिनांक 07.07.2020 की अवधि एत्दद्वारा आगामी छः माह तक बढ़ाई जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
वी. सरवन कुमार,
विशिष्ठ शासन सचिवए गृह

4020

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।